



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

File No. NCST/SER-957/JH/20/2023-SSW

Dated:- 04.06.2024

सेवा में,

श्री ए.के. सिंह
प्रमुख सचिव
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखंड सरकार,
भूमि तल, नेपाल हाउस, दौरंदा, रांची, (झारखंड) - 834002
(Tel. No: 0651-2491033)

विषय:- अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ रिनपास, रांची के निदेशक द्वारा प्रताडित करने के संबंध में - डॉ सुभाष सौरन, अपर प्राध्यापक मनोचिकित्सा विभाग रिनपास, रांची का दिनांक 27.03.2023 का अभ्यावेदन

संदर्भ:- NCST के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.07.2023

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए हॉल – युवराज, बीएनआर चाणक्य होटल, रांची – 834001 में दिनांक 14.06.2024 को 02:00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्या के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय
मिरांडा ईगुदम

(मिरांडा ईगुदम/Miranda Ingudam)

निदेशक / Director

Tel:- 011-20819841

Email:- m.ingudam@sansad.nic.in